संशोधित

6 अप्रैल, 2020 **कार्यकारी आदेश 2020-21**

COVID-19 के लिए कार्यकारी आदेश

(COVID-19 कार्यकारी आदेश सं. 19_)

जबकि, मैं, जेबी प्रिट्ज़कर (JB Pritzker), इलिनॉय का राज्यपाल (गवर्नर), ने कोरोनावायरस रोग 2019 (COVID-19) के प्रकोप की प्रतिक्रिया में 9 मार्च, 2020 को इलिनॉय राज्य की समस्त काउंटियों को आपदा क्षेत्र घोषित किया था (प्रथम राज्यपालीय आपदा उद्घोषणा (फर्स्ट ग्युबरनेटोरियल डिज़ास्टर प्रोक्लेमेशन)); और,

जबकि, मैंने कोविड-19 (COVID-19) के विस्फोटक फैलाव की प्रतिक्रिया में 1 अप्रैल, 2020 को पुनः इलिनॉय राज्य की सभी काउंटियों को आपदा क्षेत्र घोषित किया (द्वितीय राज्यपालीय आपदा उद्घोषणा (सेकंड ग्युबरनेटोरियल डिज़ास्टर प्रोक्लेमेशन), और, प्रथम राज्यपालीय आपदा उद्घोषणा (फ़र्स्ट ग्युबरनेटोरियल डिज़ास्टर प्रोक्लेमेशन) के साथ, राज्यपालीय आपदा उद्घोषणाएं (ग्युबरनेटोरियल डिज़ास्टर प्रोक्लेमेशन्स); और,

जबकि, कुछ ही समय में, COVID-19 तेजी से पूरे इलिनॉय में फैल गया, इसलिए संघीय, राज्य और स्थानीय सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा अद्यतन जानकारी और अधिक सख्त मार्गदर्शन दिए जाने की आवश्यकता है; तथा,

जबकि, इलिनॉय भर में सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा के संरक्षण के लिए, और यह सुनिश्चित करने के लिए कि हमारी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली बीमार लोगों की सेवा करने में सक्षम है, और COVID-19 के प्रसार को धीमा करने और रोकने के लिए मुझे लगता है कि लोक स्वास्थ्य दिशानिर्देश को लागू करने व लोगों द्वारा अपनाया जाय इसके लिए संगत अतिरिक्त सार्थक उपाय करना आवश्यक है; तथा,

जबकि, सामाजिक दूरी बनाए रखना, जिसमें लोगों के बीच कम-से-कम छह फ़ीट की दूरी बनाए रखनी होती है, हमारे समुदायों में COVID-19 के प्रसार को न्यूनतम करने की सर्वोपरि रणनीति है; और,

जबकि, COVID-19 के परिणामस्वरूप कुछ जनसमूह अधिक गंभीर रुग्णता का अनुभव करने के उच्चतर जोख़िम में हैं, जिनमें वृद्ध वयस्क एवं गंभीर दीर्घकालिक स्वास्थ्य स्थितियों जैसे हृदय रोग, मधुमेह, फेफड़ों के रोग या अन्य स्थितियों से ग्रस्त व्यक्ति शामिल हैं; और,

जहाँ, इलिनॉय सुधार विभाग ((IDOC) की वर्तमान में 28 आवासीय व सुविधा क्षेत्रों में 36,000 से अधिक पुरुष और महिला निवासियों की आबादी है, इनमें से अधिकांश लोगों, उनकी निकटता और आवास डाइनिंग हॉलों में एक दूसरे के साथ संपर्क में रहने कारण वे COVID-19 के संक्रमण और प्रसार होने की दृष्टि से विशेष रूप से असुरक्षित हैं; तथा,

जहाँ, COVID-19 की जांच हेतु किए गए परीक्षण में रोग-लक्षण जिनमें सकारात्मक (positive) पाए गए, उन्हें अन्य लोगों से अलग रखने की व्यवस्था और अस्पताल में अलग कमरे की सुविधा मुहैया कराने की क्षमता सीमित है; तथा,

जबकि, यह सुनिश्चित करने के लिए कि IDOC इकाइयों में COVID-19 के प्रसार की रोकथाम के लिए और COVID-19 से प्रभावित लोगों को आवश्यक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए IDOC के निदेशक (डाइरेक्टर) सार्वजनिक स्वास्थ्य मार्गदर्शन के अनुरूप समस्त आवश्यक कदम उठाएं, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि निदेशक (डाइरेक्टर) को चिकित्सीय दृष्टि से संवेदनशील कैदियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को एवं IDOC इकाइयों के अन्य कैदियों व स्टाफ़ और समुदाय के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए और जब आवश्यक एवं उपयुक्त हो तब, उक्त चिकित्सीय दृष्टि से संवेदनशील कैदियों को अस्थायी तौर पर IDOC इकाइयां छोड़कर जाने की अनुमति देने के लिए चिकित्सीय अवकाश का उपयोग करने का विवेकाधिकार प्रदान किया जाए;

अतः, इलिनॉय राज्य के राज्यपाल (गवर्नर) के रूप में मुझे प्रदत्त शक्तियों द्वारा, और इलिनॉय आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी अधिनियम, 20 ILCS 3305 के अनुभागों 7(1), 7(2), 7(8), और 7(12) के अनुसरण में, मैं एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश देता हूं जो तुरंत प्रभावी होगा और राज्यपालीय आपदा उद्घोषणाओं (ग्युबरनेटोरियल डिज़ास्टर प्रोक्लेमेशन्स) की शेष अवधि तक लागू रहेगा:

अनुभाग 1. इलिनॉय एकीकृत सुधार संहिता (इलिनॉय यूनिफ़ाइड कोड ऑफ़ करेक्शन्स), 730 ILCS 5/3-11-1, के निम्नलिखित उपबंध, जो ILCS कैदियों को अवकाश लेने की अनुमति देते हैं, निम्नवत रूप से एतद्द्वारा स्थगित किए जाते हैं: (a) जैसा कि अवकाश की अनुमेय समयावधि का उपबंध करने वाले अनुभाग (a) में वर्णित है, वाक्यांश "अधिकतम 14 दिनों की समयावधि के लिए", को स्थगित किया जाता है और राज्यपालीय आपदा उद्घोषणाओं (ग्युबरनेटोरियल डिज़ास्टर प्रोक्लेमेशन्स) की अवधि तक की अवकाश अवधियां, जैसा IDOC के निदेशक (डाइरेक्टर) निर्धारित करें, अनुमेय होंगी; और (b) जैसा कि अनुभाग (a)(2) में वर्णित है, वाक्यांश "जब पर्याप्त सेवाएं अन्यथा उपलब्ध न हों तब चिकित्सीय, मनोविकारी, या मनोवैज्ञानिक सेवाएं प्राप्त करने के लिए" को स्थगित किया जाएगा और निदेशक (डाइरेक्टर) के विवेकाधीन तथा IDOC के कार्यवाही चिकित्सा निदेशक (एक्टिंग मेडिकल डाइरेक्टर) के मार्गदर्शन के अनुरूप चिकित्सीय, मनोविकारी या मनोवैज्ञानिक प्रयोजनों से अवकाशों की अनुमति दी जाएगी।

अनुभाग 2. IDOC इस कार्यकारी आदेश के आशय को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यकतानुसार आपातकालीन नियम दायर करेगा।

____

जेबी प्रिट्ज़कर (JB Pritzker), राज्यपाल (गवर्नर)

राज्यपाल (गवर्नर) द्वारा जारी 6 अप्रैल, 2020

राज्य सचिव (सेक्रेटरी ऑफ़ स्टेट) द्वारा दायर 6 अप्रैल, 2020